<u>कचआ के कार्य</u>

1. उन पदों को छोड़कर जो विशेष रूप से कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बहार हैं (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' पदों जिनका वेतनमान अधिकतम 10,500 रूपए या उससे कम है और (ii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सभी गैर तकनीकी समूह 'ग' पदों के लिए भर्ती करना ।

2. जब कभी आवश्यक हो अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं और/अथवा साक्षात्कारों का आयोजन करना । परीक्षाओं का आयोजन जहां तक सम्भव हो विभिन्न केन्द्रों पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को जहां तक सम्भव हो उनके गृह राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा ।

3. विशेषकर निम्नलिखित पदों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना :

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा/ भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों सहित भारत सरकार के विभिन्न प्रभारों के अंतर्गत आयकर निरीक्षक, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सम्ब® ,ããõÀ ,ã£ããè¶ãÔ©ã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ããñâ ½ãñ ,ãÌãÀ श्रेणी लिपिक ।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' तथा ग्रेड 'घ' आशुलिपिक और भारतीय विदेश सेवा (ख) /रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा /सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के समतुल्य ग्रेडों तथा उपर्युक्त सेवाओं में भाग न ले रहे भारत सरकार के सम्ब® ,ããõÀ ,ã£ããè¶ãÔ©ã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ããñâ ÔãããÖ¦ã ,ã¶¾ã ããÌã¼ããØããñâ ½ãñ ,ããÍãÌãäÊãããä¹ã‡ãŠãñâ के पद ।

(iii) भारत सरकार के संब® और ,ã£ããè¶ãÔ©ã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ããñâ Ôã½ãñ¦ã विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सचिवालय /सेवा भारतीय विदेश सेवा (ख)/ रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/ सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में सहायक ।

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न समाहर्तालयों (कलेक्टरेटों) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, आयकर आयुक्तों के विभिन्न प्रभारों के अंतर्गत आयकर निरीक्षक, विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों मे निवारक अधिकारी और परीक्षक, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी ।

(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उप-निरीक्षक ।

(vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालयों और अन्य लेखा विभागों के अंतर्गत प्रभागीय लेखाकार, लेखा-परीक्षक और लेखाकार तथा भारत सरकार के संब®/ ,ã£ããè¶ãÔ©ã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ããñâ में उच्च श्रेणी लिपिक।

(vii) के.लो.नि.वि. में कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल तथा वैद्युत) एक समूह 'ख' अराजपत्रित, गैर अनुसचिवीय, सामान्य केन्द्र सेवा(तकनीकी पद)

(viii) सांख्यिकीय अन्वेषक, अधिनस्थ सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी IV , सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में समूह 'ग' अराजपत्रित गैर अनुसचिवीय पद

(ix) आयकर सहायक(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के विभिन्न समाहर्तालयों और केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड में एक समूह 'ग' अरापत्रित अनुसचिवीय पद

(x) अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में एक समूह 'ख' अराजपत्रित पद ।

(xi) अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा),नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में एक समूह 'ख' अराजपत्रित पद ।

4. निम्नलिखित की पदोन्नति के लिए आयोग विभागीय परीक्षाएं भी आयोजित करता है :-

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में समूह 'घ' से अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा(ख)/रेलवे सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति ,

(ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड मे और भारतीय विदेश सेवा (ख)/ रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/ सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेड मे पदेन्नति , और

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक ग्रेड 'घ' से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में और भारतीय विदेश सेवा 'ख'/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति ।

5. आयोग अंग्रेजी एवं हिंदी मे आवधिक टंकण परीक्षण आयोजित करता है ।

6. आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और साथ ही संबंधित विभागों के परामर्श से संब® एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 4200/-रु. अथवा इससे कम के ग्रेड वेतन सहित 9300- से 34800/-रु. के वेतनमान वाले सभी समूह 'ख' पदों और समूह 'ख' गैर तकनीकी पदों की भर्ती के लिए योजना तैयार करता है ।